न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5647/2004/जयपुर

1– रामगोपाल पुत्र भगवाना (मृतक) जरिये वारिसानः–

1/1– नारायणी देवी बेवा स्व. रामगोपाल

1/2– रमेश चन्द्र पुत्र स्व. रामगोपाल

1/3– महेश कुमार पुत्र स्व. रामगोपाल समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम भम्बोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

1/4– भौरी देवी पुत्री स्व. रामगोपाल पत्नी स्व. रामनारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी टोल टैक्स टीवा, सांगानेर, जिला जयपुर।

1/5– बीना देवी पुत्री स्व. रामगोपाल पत्नी ओमप्रकाश, जाति ब्राह्मम्ण, निवासी ग्राम रामपुरा बस्यो, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

– अपीलांट्स

बनाम

1– बाबूलाल दत्तक पुत्र रामानन्द, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

2– जगदीश नारायण पुत्र कल्याण, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3– श्रीकृष्ण पुत्र दानाराम (मृतक) जरिये वारिसान–

3/1– श्रीमति नाथी देवी पत्नी स्व. श्रीकृष्ण (नाम तर्क)

3/2– श्याम लाल
3/3– कैलाश
3/4– सीताराम
} पुत्रगण श्रीकृष्ण

3/5– श्रीमति शान्ति पत्नी सूरज पुत्रवधु स्व. श्रीकृष्ण

3/6– योगराज
3/7– शिवकुमार
} पुत्रगण सूरज पौत्रगण स्व. श्रीकृष्ण

3/8– गौरीशंकर समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम बड़ के बालाजी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3/9– श्रीमति भूरी पुत्री सूरज पत्नी जगदीश, जाति हरियाणा ब्राह्यण, निवासी ग्राम अखैपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

3/10– श्रीमति धापा पुत्री सूरज पत्नी जगदीश, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम बाजुपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

3/11– श्रीमति पुष्पा पुत्री सूरज पत्नी श्रवण, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम धेली दुबली, पोस्ट गुमानपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3/12– श्रीमति कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश पुत्रवधु स्व. श्रीकृष्ण

3/13– महेश पुत्र ओमप्रकाश पौत्र श्रीकृष्ण

3/14– महेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश पौत्र श्रीकृष्ण समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम बड़ के बालाजी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

3/15– श्रीमति किशोरी पुत्री श्रीकृष्ण पत्नी गोपाल (मृतक) जरिये वारिसानः–

3/15/1– मंजू पुत्री गोपाल लाल

3/15/2– नौरती पुत्री गोपाल लाल

3/15/3– शंकर पुत्र गोपाल लाल

3/15/4– संजय पुत्र गोपाल लाल समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 2699, महेन्द्र कुमार कासलीवाल का मकान, मोतीसिंह भौमिया का रास्ता, चौथा चौराहा, जौहरी बाजार, जयपुर।

3/16– श्रीमति संतोष पुत्री श्रीकृष्ण पत्नी सुरेश शर्मा, निवासी प्लॉट नम्बर 849, गोलीमार गार्डन, जलमहल आमेर रोड, जयपुर।

4– बंशी पुत्र गोविन्दा

5– नारायण पुत्र चन्दा (नाम तर्क)

6– चौथू पुत्र चन्दा, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

7– आनन्दा पुत्र चन्दा (नाम तर्क)

8– देवीनारायण पुत्र चन्दा (नाम तर्क)

9– लादू पुत्र चन्दा (मृतक) जरिये वारिसानः–

9/1– बाबूलाल दत्तक पुत्र लादू, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

10– मूलचन्द पुत्र भौरया, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

11– हनुमान पुत्र भौरया, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

12– लल्लूराम पुत्र भौरया, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

13– लल्लूराम पुत्र हरिकिशन उर्फ किशन, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

14– बाबूलाल पुत्र हरिकिशन उर्फ किशन, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

15– रामेश्वर पुत्र छोटू, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम सारंगपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

16– नन्दलाल उर्फ नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र घनश्याम शर्मा, निवासी डी–8, चिरंजीव कॉलोनी, महेश नगर, जयपुर।

17– चुन्नीलाल उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम शर्मा, निवासी 223, राणा सती नगर, कमला विहार, जमना पेट्रोल पम्प के सामने, न्यू सांगानेर रोड,

जयपुर।

18— राजेन्द्र पुत्र घनश्याम शर्मा, निवासी 223, राणा सती नगर, कमला विहार, जमना पेट्रोल पम्प के सामने, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

19— राजेश पुत्र घनश्याम शर्मा, निवासी 223, राणा सती नगर, कमला विहार, जमना पेट्रोल पम्प के सामने, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

20— राधामोहन पुत्र हरिशंकर, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी प्लॉट नम्बर बी—36, सैन कॉलोनी, पावर हाऊस रोड, स्टेशन, जयपुर।

21— राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः—

1. श्री नरेश कुमार जैन, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जे.के. पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक— 31—1—2025

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 110/1999 में पारित निर्णय दिनांक 19—11—2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) के समक्ष रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की ग्राम भमोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2028 के खाता संख्या 30 के अनुसार खसरा नंबर 528 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 529 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 530 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 547 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 570 रकबा

3 बिस्वा चाह, खसरा नंबर 571 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 572 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 578 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 55/816 रकबा 1 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा एवं खाता संख्या 157 के खसरा नंबर 579 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 583 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 584 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 585 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा ग्राम सारंगपुर तहसील सांगानेर स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2029 के खाता संख्या 16 के अनुसार खसरा नंबर 26 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 65 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 111 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 119/419 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा एवं खाता संख्या 32 के खसरा नंबर 196 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 1/5 भाग है एवं प्रतिवादी संख्या 4 गोविन्दा व चन्दा का 1/2 भाग है। खाता संख्या 59 के खसरा नंबर 2 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 9/11 भाग है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बंटवारे बाबत् एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा विचारण उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) के समक्ष वाद प्रस्तुत कर ग्राम सारंगपुर तहसील सांगानेर स्थित आराजी खसरा नंबर 2 से रामानन्द व श्रीकृष्ण प्रतिवादी के नाम दर्ज 9/11 हिस्से में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद दायरी से पूर्व पैतृक आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त था। किन्तु वादी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिनांक 21–5–1974 को एक तरफा रिसीवर के आदेश प्राप्त कर लिये गए, जिससे कब्जा रिसीवर के पास है। उक्त एकतरफा आदेश से उभयपक्ष को आर्थिक क्षति हो रही है। उभयपक्ष मौके पर अपनी–अपनी हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धांत के विपरीत है। अतः प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई–

1– क्या वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 से 3 दिनांक 19–12–1971 तक हिन्दु सम्मिलित परिवार रहा है और उस दिन तक इस परिवार के कर्ता रामानंन्द व श्रीकष्ण प्रतिवादी रहे है। –वादी

2– क्या ग्राम सारंगपुरा स्थिति भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा में 9/11 भाग वादी व प्रतिवादी सख्या 1 से 3 ने सम्मिलित में अर्जित किया है और इस 9/1 भाग में वादी का 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 3/4 भाग है।

–वादी

3– क्या वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 में जरिये लिखावट तारीख 19–12–1971 विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा हो गया और इस लिखावट दिनांक 19–12–1971 का प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हित एवं अधिकारो पर क्या असर है।

–वादी

4– क्या दिनांक 19–12–1971 को हुये बंटवारे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी को उसके हिस्से में आई आराजी को जुलाई, 1972 में काश्त नहीं करने दिया। –वादी

5– क्या भूमि खसरा नंबर 196 व 2 ग्राम सारंगपुरा में प्रतिवादी संख्या 4 ता 14 हिस्सेदार नहीं है। – प्रतिवादी

6– वया विवादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की बहन श्रीमती जमना 1/5 भी हिस्सेदार है और इस वाद में आवश्यक पक्षकार है।

– प्रतिवादी

7– क्या वाद खण्ड–6 में वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य लिखावट दिनांक 19–12–1971 के अलावा तकासमा हो गया है और वे अपने अपने हिस्से में आई झीम पर काबिज है। – प्रतिवादी

8– क्या दावा में रेस–ज्यूडीकेटा आराजी हैं। – प्रतिवादी

9– क्या न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार नहीं है। – प्रतिवादी

10– क्या बंटवारा दिनांक 19–12–1971 से कोई फरीक कभी पाबंद नहीं हुआ और न ही यह बटवारा अमत में आया। – प्रतिवादी

11– दादरसी

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10–8–1999 द्वारा विवादित भूमि पैतृक नहीं होने से अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–8–1999 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19–11–2004 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश

दिनांक 10–8–1999 यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–11–2004 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय और उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा न तो उभयपक्षों के अभिकथन पर विचार किया और न ही तद्नुसार तनकी कायम की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि लिखावट दिनांक 19–12–1971 पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है। श्रीकृष्ण प्रतिवादी ने अपने बयान में इस लिखावट पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा इस लिखावट पर गंगासहाय शर्मा, प्रधान पंचायत समिति, सांगानेर के हस्ताक्षर है और गंगासहाय ने अपने बयानों में इस लिखावट को अपने सामने लिखना और उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का कथन किया है। उनका यह भी कथन है कि जगदीश प्रतिवादी ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि चारों भाई श्रीकृष्ण, रामानन्द, कल्याण और भगवाना की सामलाती जमीन थी। वादी की ओर से दिनांक 17–5–1999 को परीक्षण न्यायालय में निगरानी संख्या 14/96 दिनांक 24–1–1996 जगदीश बनाम रामगोपाल, नजरसानी प्रार्थना–पत्र संख्या 6/96 दिनांक 23–1–1996 जगदीश बनाम रामगोपाल प्रस्तुत किए, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण ने इस बात को स्वीकार किया कि पक्षकारान में विभाजन लिखित में किया गया है। जो प्रदर्श–पी 4 है। इन दस्तावेजों पर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 6 में जमना का 1/5 भाग मानने में त्रुटि कारित की है। जमना लाऔलाद फौत हुई। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–11–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–8–1999 निरस्त किये जावे।

5– रेस्पोडेंट्स के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में दावा जिन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया था, उनके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत

प्रस्तुत नहीं किये थे। इसलिए विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है, इससे पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वाद साबित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया है। अपीलांट ने जिस दिन दावा प्रस्तुत किया था, उस दिन अपीलांट का कब्जा एवं काश्त नहीं था। इसलिए बिना कब्जे के आधार पर अपीलांट/वादी खातेदारी का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता था और अपीलांट को उसका कब्जा एवं काश्त प्रमाणित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में यह स्पष्ट रूप से माना था कि अपीलांट/वादी ने प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स के कर्ता खानदान दिनांक 19–12–1971 तक होने का कोई साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलांट/वादी के विरूद्ध तनकी संख्या 1 का निर्णय किया था। उनका यह भी कथन है कि विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 में यह स्पष्ट रूप से माना था कि रेस्पोडेंट्स ने स्वअर्जित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 13–10–1969 को 7 बीघा 19 बिस्वा 3999/– रूपये में 6/11 हिस्सा एक बार में तथा शेष 2/11 हिस्सा दिनांक 25–10–1969 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया था। तब से ही रेस्पोडेंट्स उक्त भूमि पर लगातार काबिज चले आ रहे हैं तथा इस भूमि पर अपीलांट का कोई हिस्सा, हक व अधिकार नहीं है तथा विवादित भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांट/वादी के विरूद्ध किया था, जो पूर्णतया कानूनी प्रावधानों एवं सिद्धांतों के अनुरूप था। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पृष्ठ 246, आर.आर.टी. 2018 (2) पृष्ठ 1161, आर.आर.डी. 1989 पृष्ठ 774, आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 425, आर.आर.डी. 1992 पृष्ठ 114, आर.आर.डी. 2010 पृष्ठ 692, आर.आर.डी. 2001 पृष्ठ 19, आर.आर.डी. 2004 पृष्ठ 63, आर.आर.डी. 1989 पृष्ठ 121, आर.आर.डी. 1977 पृष्ठ 1, ए.आई.आर. 1976 (एससी) पृष्ठ 807, आर.बी.जे. 2013 (20) पृष्ठ 240, डब्ल्यू.एल.सी. 2012 (3) पृष्ठ 697, डी.एन.जे. 2007 (3) पृष्ठ 1396, आर.आर.डी. 2005 पृष्ठ 505, डी.एन.जे. 2010 (एससी) पृष्ठ 208, आर. बी.जे. 2024 पृष्ठ 1, आर.आर.टी. 2023 (2) पृष्ठ 732, डी.एन.जे. 2023 (2) पृष्ठ 532, आर.आर.डी. 2003 पृष्ठ 423, आर.आर.टी. 2014 (2) पृष्ठ 1266, आर.आर.डी. 2011 पृष्ठ 145 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए।

6— हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत उपखण्ड अधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । दावे व जबावदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा 10 तनकियात कायम कर उपलब्ध रिकार्ड एवं उसके परीक्षण के उपरांत विवादित आराजी खसरा नंबर 2 ग्राम सारंगपुरा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया जाना माना है एवं विवादित भूमि को पैतृक नहीं माना है न ही अपीलाण्ट द्वारा कोई रेकार्ड व साक्ष्य दिए जिससे कि विवादित आराजी पैतृक साबित हो । विचारण न्यायालय ने वादी का दावा दिनांक 10—8—1999 से खारिज कर दिया । विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा धारा 53 के तहत वाद प्रस्तुत किया जिसके तहत वाद प्रस्तुतीकरण के दिन विवादित भूमि पर कृषक या कब्जा साबित करना होता है लेकिन अपीलाण्ट द्वारा साबित नहीं किए जाने से वाद खारिज किया न ही उसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति बाबत कोई साक्ष्य सबूत पेश किया । इस संबंध में 1989 आर.आर.डी पृष्ठ 774 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि—

> "Rajasthan Tenancy Act, Section 88-person out of possession cannot be granted declaration only."

अपीलाण्ट द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर बंटवारे बाबत वाद प्रस्तुत किया। ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी पक्ष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, न ही इस प्रकार के अपंजीकृत लिखित का कोई महत्व है । इस संबंध में आर.बी.जे. 2013(20) पृष्ठ 240 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि—

> RAJASTHAN TENANCY ACT 1955-Sec 53- Partition suit-Family settlement deed which was neither registered not stamped as required under law was not admitted in evidence not exihibited such document was rightly not relied by the concerned authorities.

विचारण न्यायालय ने सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित कर अपीलाण्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत मानकर अपील को खारिज किया है । उन्होंने भी अपने

निर्णय में यही माना है कि तथाकथित लिखावट अपंजीबद्ध है । इकरारनामा के रूप में बंटवारा लिखित है जिसमें भूमि का खुलासा नहीं है एवं स्पष्ट रूप से एकपक्षीय प्रतीत होती है, जो खातेदारी हक प्रदान करने के लिए स्वीकार योग्य नहीं है एवं विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है उसमें कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित भूमि को पैतृक नहीं मानकर स्वअर्जित मानकर वाद एवं अपील को खारिज किया है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं तथा अपील में विधि का कोई प्रश्न भी अन्तर्वलित नहीं है। इसलिए, द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

> "Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र, यदि कोई लम्बित हों ,तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य